

ई-आक्शन सूचना

गोमती नगर विस्तार योजना के भूखण्डों का विवरण											
क्र.सं.	भूखण्डों की संख्या	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर	आरक्षित दर प्रति वर्ग मी०	भूखण्ड का अनुमानित कुल मूल्य	गुप्त स्थित मार्ग की चौड़ाई (मी० में)	घू-आच्छादन (प्रतिशत में)	एफओएओआरओ	श्रेणी
1	1	CP-4/33	व्यवसायिक	सेक्टर-4 गोमती नगर विस्तार	4192.25	114584.00	480364774.00	30	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
2	1	CP-4/5	व्यवसायिक	सेक्टर-4	2668.31	114584.00	305745633.04	30	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
3	1	CP-1	व्यवसायिक	सेक्टर-5	628.35	79167.00	49744584.45	12	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
4	1	CP-2	व्यवसायिक	सेक्टर-5	580.46	79167.00	45953300.57	12	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
5	1	CP-3	व्यवसायिक	सेक्टर-5	900.00	79167.00	71250300.00	12	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
6	1	Group Housing	Group Housing	सेक्टर-6	4647.01	73317.00	340704832.17	18	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2.50	सामान्य
7	1	CP-5	व्यवसायिक	सेक्टर-6	162.00	97167.00	15741054.00	18	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
8	1	CP-6	व्यवसायिक	सेक्टर-6	1087.89	97167.00	105707007.63	18	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
9	1	CP-7	व्यवसायिक	सेक्टर-6	1044.54	97167.00	101494818.18	18	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
10	1	CP-4/1-A	व्यवसायिक	सेक्टर-4	2473.12	114584.00	283379982.08	18	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
11	1	CP-4/1-B	व्यवसायिक	सेक्टर-4	1647.30	114584.00	188754223.20	18	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
	11						1988840509.32				

क्र.सं.	मूखण्डों की संख्या	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर	आरक्षित दर प्रति वर्ग मी०	मूखण्ड का अनुमानित कुल मूल्य	गुप्त स्थित मार्ग की चौड़ाई (मी० में)	नू-आच्छादन (प्रतिशत में)	एफओएओआरओ	श्रेणी
1	1	HC-01	नर्सिंग	विनम्र खण्ड-3	1866.93	82334.00	153711814.62	15	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2.0	सामान्य
2	1	VNR-3/LS	लोकल शाप	विनम्र खण्ड-3	1803.86	79167.00	142806184.62	15	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
3	1	LOCAL SHOP-3	लोकल शाप	विनम्र खण्ड-3	1959.54	79167.00	155130903.18	15	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
4	1	LOCAL SHOP-5	लोकल शाप	विनम्र खण्ड-2	252.00	75000.00	18900000.00	9	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
5	1	SHOPS-05	शाप	विनम्र खण्ड-3	316.80	75000.00	23760000.00	9	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
6	1	VNR-2/CF	कम्यूनिटीकैसल्टीज	विनम्र खण्ड-2	194.00	56400.00	10941600.00	9	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2	सामान्य
7	1	VRJ-2/CP	व्यवसायिक	विराज खण्ड-2	1613.88	79167.00	127766037.96	12	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
8	1	VRJ-2/HC	नर्सिंग	विराज खण्ड-2	1510.11	82334.00	124333396.74	12	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2	सामान्य
9	1	VRJ-4/LS	लोकल शाप	विराज खण्ड-4	1338.71	86458.00	115742448.55	24	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
10	1	VRJ-3/LS-1	लोकल शाप	विराज खण्ड-3	558.05	75000.00	41853750.00	9	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
11	3	S-20, 22, 62	व्यवसायिक	वास्तु खण्डगोमतीनगर	16.50	75000.00	1237500.00	24	कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार		सामान्य
12	1	S-56	व्यवसायिक	वास्तु खण्डगोमतीनगर	24.75	331560.00	8206110.00	24	कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार		सामान्य
13	4	S-33, 39, 53, 54	व्यवसायिक	वास्तु खण्डगोमतीनगर	13.50	331560.00	4476060.00	24	कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार		सामान्य
14	3	S-34, 38, 41	व्यवसायिक	वास्तु खण्डगोमतीनगर	20.25	331560.00	6714090.00	24	कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार		सामान्य
15	6	P- 19, 20, 24, 25, 91, 96	व्यवसायिक	वास्तु खण्डगोमतीनगर	5.76	296573.00	1708260.48	24	कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार		सामान्य
16	1	S-2	व्यवसायिक	विशाल खण्ड	7.20	247100.00	1779120.00	9	कन्ट्रोल ड्राईंग के अनुसार		सामान्य
17	1	TC/13-V-17-A	व्यवसायिक	विभूति खण्ड गोमती नगर	1410.60	137500.00	193957500.00	30	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
18	1	TC-49-V-VI	व्यवसायिक	विभूति खण्डगोमतीनगर	583.60	137500.00	80245000.00	24	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
19	1	TC-49-V-XIX	व्यवसायिक	विभूति खण्डगोमतीनगर	485.18	137500.00	66712250.00	24	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
20	1	TC-49-V-XX	व्यवसायिक	विभूति खण्डगोमतीनगर	552.13	137500.00	75917875.00	24	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
21	1	TC-49-V-XXI	व्यवसायिक	विभूति खण्डगोमतीनगर	522.75	137500.00	71878125.00	24	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
22	1	CP-2	कार्यालय	विशाल खण्ड-3 गोमतीनगर	1096.00	83334.00	91334064.00	9	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
23	1	1A	ग्रुपहाउसिंग	विकल्प खण्ड गोमती नगर	10601.88	73317.00	777298035.96	24	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2.5	सामान्य
24	1	CP-1	व्यवसायिक	विराज खण्ड-1	2118.00	86459.00	183120162.00	24	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य

Er Mundstehen/Dauerlos definiert, Caution 25.08.2020

सी0जी0 सिटी (चकगजरिया) योजना के मूखण्डों का विवरण

गोमती नगर विस्तार के अन्तर्गत सी0बी0डी0 योजना निकट सी0जी0 सिटी, (इकाना स्टेडियम एवं प्लासियो माल) फाईन ड्राईनिंग स्ट्रीट के भूखण्डों का विवरण

[illegible]

क्र.सं.	भूखण्डों की	अनमानित क्षेत्रफल	आरक्षित दर प्रति वर्ग	भूखण्ड का अनमानित कल	भू स्थित मार्ग की	भू-आच्छादन
---------	-------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	------------

[illegible]

[illegible]

58	1	GR-Housing GH-03	ग्रुपहाउसिंग	J	15012.05	67217.00	1009064964.85	24	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2.5	सामान्य
59	1	GR-Housing GH-04	ग्रुपहाउसिंग	J	17096.85	67217.00	1149198966.45	30	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2.5	सामान्य
60	1	GR-Housing GH-05	ग्रुपहाउसिंग	J	34257.08	67217.00	2302658146.36	45	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2.5	सामान्य
61	1	GR-Housing GH-06	ग्रुपहाउसिंग	J	20299.38	67217.00	1364463425.46	45	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2.5	सामान्य
62	1	GR-Housing GH-07	ग्रुपहाउसिंग	J	20306.21	67217.00	1364922517.57	30	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2.5	सामान्य
63	1	GR-Housing GH-08	ग्रुपहाउसिंग	J	19826.39	67217.00	1332670456.63	24	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2.5	सामान्य
64	1	GR-Housing GH-09	ग्रुपहाउसिंग	J	18719.89	67217.00	1258294846.13	45	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2.5	सामान्य
65	1	CP-01	व्यवसायिक	J	15158.45	60709.00	920254341.05	45	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
66	1	CP-02	व्यवसायिक	J	18851.63	60709.00	1144463605.67	45	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	1.75	सामान्य
67	1	MIX USE MU-01	मिश्रितनू-उपयोग	J	30595.21	77275.00	2364244852.75	30	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2.5	सामान्य
68	1	HOTEL	होटल	J	8979.13	67217.00	603550181.21	45	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2.5	सामान्य
69	1	HEALTH CENTER	हेल्थसेंटर	J	5849.44	60117.00	351650784.48	30	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2	सामान्य
70	1	COMMUNITY CENTER	कैसेल्टीज	J	8242.35	60117.00	495505354.95	30	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2	सामान्य
71	1	FACILITIES	कैसेल्टीज	J	7417.78	60117.00	445934680.26	30	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	2	सामान्य
	71						23864517546.80				

Er/Mund/etern/Damien/der/Ph/nd_Cant eg 29.09.2020

बसन्तकुन्ज सेक्टर-आई में प्रधानमंत्री आवासों के मध्य स्थित दुकानों का विवरण											
क्र०सं०	भूखण्डों की संख्या	योजना का नाम	दुकानसंख्या	अनुमानित एरिया	आरक्षित दर प्रति वर्गमी० फी-होल्ड पृथक से देय होगा	आरक्षित दर	आरक्षित दर फी-होल्ड पृथक से देय होगा	भू० स्थित मार्ग की चौड़ाई (मी० में)	भू-आच्छादन (प्रतिशत में)	एफ०ए०आर०	श्रेणी
1	1	बसन्तकुन्ज	1	9.95	129325.00	1286783.75	1286784.00	-	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	-	सामान्य
2	1	बसन्तकुन्ज	2	9.95	129325.00	1286783.75	1286784.00	-	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	-	सामान्य
3	1	बसन्तकुन्ज	3	9.95	129325.00	1286783.75	1286784.00	-	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	-	सामान्य
4	1	बसन्तकुन्ज	4	9.95	129325.00	1286783.75	1286784.00	-	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	-	सामान्य
5	1	बसन्तकुन्ज	5	10.13	129325.00	1310062.25	1310063.00	-	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	-	सामान्य
6	1	बसन्तकुन्ज	6	10.13	129325.00	1310062.25	1310063.00	-	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	-	सामान्य
7	1	बसन्तकुन्ज	7	9.95	129325.00	1286783.75	1286784.00	-	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	-	सामान्य
8	1	बसन्तकुन्ज	8	9.95	129325.00	1286783.75	1286784.00	-	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	-	सामान्य
	8							-	-	-	-
मानसरोवर सेक्टर-ओ-3 कानपुर रोड योजना में स्थित शॉपिंग कॉम्पलेक्स का विवरण											
क्र०सं०	भूखण्डों की संख्या	योजना का नाम	सम्पत्ति	लैंड एरिया	अनुमानित विक्रय मूल्य	अनुमानित कुल विक्रय मूल्य	भू० स्थित मार्ग की चौड़ाई (मी० में)	भू-आच्छादन (प्रतिशत में)	एफ०ए०आर०	श्रेणी	
1.	1	मानसरोवर सेक्टर-ओ-3	SHOPPING COMPLEX	1586.43 sqmt	217139886.00	217139886.00	-	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	-	-	
विराज खण्ड वेजीटेबल मार्केट गोमती नगर योजना का विवरण											
क्र०सं०	भूखण्डों की संख्या	योजना का नाम	सम्पत्ति	लैंड एरिया	अनुमानित विक्रय मूल्य	अनुमानित कुल विक्रय मूल्य	भू० स्थित मार्ग की चौड़ाई (मी० में)	भू-आच्छादन (प्रतिशत में)	एफ०ए०आर०	श्रेणी	
1.	1	गोमतीनगर योजना	Vegetable Market	1053.54 sqmt	75960094.11	75960094.11	-	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	-	सामान्य	
कबीर नगर देवपुर पारा में अर्धनिर्मित भूखण्ड का विवरण											
क्र०सं०	भूखण्डों की संख्या	योजना का नाम	सम्पत्ति	अनुमानित क्षेत्रफलवर्गमीटर	अनुमानितविक्रय मूल्य	अनुमानित कुल विक्रय मूल्य	भू० स्थित मार्ग की चौड़ाई (मी० में)	भू-आच्छादन (प्रतिशत में)	एफ०ए०आर०	श्रेणी	
1.	1	कबीर नगर देवपुर पारा	अर्धनिर्मित भूखण्ड संख्या-3 व 4	2756.27	100701415.50	100701415.50	-	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	-	सामान्य	
विभूति खण्ड गोमती नगर योजना स्थित व्यवसायिक भूखण्ड (सहारा मार्केट) का विवरण											
क्र.सं.	भूखण्डों की संख्या	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफलवर्गमीटर	अनुमानित विक्रय मूल्य करोड़ में	अनुमानित कुल विक्रय मूल्य	भू० स्थित मार्ग की चौड़ाई (मी० में)	भू-आच्छादन (प्रतिशत में)	एफ०ए०आर०	श्रेणी
1	1	Sahara Bazar Complex Near Petrol Pump (PolytchnicChouraha)	व्यवसायिक	विभूति खण्डगोमतीनगर योजना	4375.1	74.99	749900000.00	-	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	-	सामान्य
नेहरू इन्क्लेव गोमती नगर योजना स्थित व्यवसायिक भूखण्ड का विवरण											
क्र.सं.	भूखण्डों की संख्या	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/योजना	अनुमानित क्षेत्रफलवर्गमीटर	अनुमानित विक्रय मूल्य करोड़ में	अनुमानित कुल विक्रय मूल्य	भू० स्थित मार्ग की चौड़ाई (मी० में)	भू-आच्छादन (प्रतिशत में)	एफ०ए०आर०	श्रेणी
1	1	Nehru Enclave	व्यवसायिक	नेहरू इन्क्लेवगोमतीनगर योजना	4992	46.08	460774828.00	-	प्रचलित बाई-लॉज के अनुसार	-	सामान्य

नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें

1. व्यावसायिक सम्पत्तियों का निस्तारण ई-आक्शन से किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक प्रत्येक सम्पत्ति के लिये ई-ऑक्शन आमंत्रित किया जायेगा। ऑक्शन में सर्वोच्च बोली प्राप्त होने के बाद उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में दी गयी बोली पर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा विचार किया जायेगा। उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 को पूर्ण अधिकार होगा कि वह सर्वोच्च बोली के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर दें एवं जमानत धनराशि/टोकन मनी वापस कराते हुए पुनः ई-ऑक्शन आमंत्रित करें।
2. यदि पूर्व से प्राधिकरण द्वारा किसी को व्यवसायिक सम्पत्ति आवंटित की गई है और उसने लगातार 03 किश्तें जमा नहीं किया है, तो वह डिफॉल्टर माना जायेगा और उसे नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि ई-नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन करने की तिथि तक बकाया धनराशि जमा कर देते हैं, तो आवेदन करने व ई-नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र माने जायेंगे।
3. ई-ऑक्शन में 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही निर्धारित ई0एम0डी0/टोकन मनी जमा कर प्रतिभाग कर सकते हैं। बोली में असफल होने पर जमा ई0एम0डी0/टोकन मनी की धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. शासनादेश संख्या-4982/9-आ-1-99-79 बैठक/99 दिनांक-17.12.99 के अनुसार आरक्षण देय होगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। यदि आवेदक/टेण्डरदाता द्वारा आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड/उपलब्ध नहीं किया जाता है तो उसके द्वारा दी गयी बोली/आफर को निरस्त कर दिया जायेगा।
5. फर्म संस्था/कम्पनी को अपना मेमोरेन्डम व आर्टिकल आफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी तथा अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर भी देना होगा। साझीदार फर्म को रजिस्ट्रार आफ फर्म के यहाँ पंजीकृत होना तथा आवेदक को E-mail ID & Whatsapp मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य हैं। समस्त टेण्डरदाताओं/आवेदक को आधार कार्ड/आधार नम्बर जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
6. जो इच्छुक क्रेता ई-ऑक्शन द्वारा सम्पत्ति को लेना चाहते हैं, उन्हें ई-ऑक्शन पोर्टल पर पंजीकरण करते हुए वांछित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपेक्षित अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी की धनराशि ऑनलाइन जमा करानी होगी।
7. ई-ऑक्शन में भाग लेने वाला इच्छुक व्यक्ति एक से अधिक परिसम्पत्तियों पर ई-बोली लगा सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक परिसम्पत्ति के लिये पृथक-पृथक अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी ऑनलाईन जमा कराना होगा। आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक सम्पत्तियां क्रय की जा सकती हैं।
8. गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड के व्यवसायिक भूखण्ड एवं गोमती नगर/गोमती नगर विस्तार योजना के आवासीय भूखण्डों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/दावा प्राप्त होने की स्थिति में उक्त सम्पत्ति की नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
9. ई-आक्शन पोर्टल पर सभी विवरण सही-सही भरे जायें। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ई-ऑक्शन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गयी सूचना असत्य पाये जाने पर आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि स्वीकृत बोलीदाता कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अथवा कपट, दुर्व्यपदेशन, अनुचित प्रभाव आदि के माध्यम से आवंटन प्राप्त करता है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि विक्रय विलेख के पश्चात् उपरोक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है तो विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि एवं जी0एस0टी0 जब्त करने तथा विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
10. सम्पत्ति "जैसी है जहाँ है" के आधार पर आवंटित की जायेगी।
11. ई-आक्शन में प्रतिभाग करने वालों से अपेक्षा है कि ऑक्शन से पूर्व सम्पत्ति का विवरण, माप, चौहद्दी, स्वामित्व आदि के विषय में आश्वस्त हों। यदि किसी सम्पत्ति को बोलीदाता के पक्ष में आवंटित की जाती



है तो यह मान लिया जायेगा कि उसके द्वारा सम्पत्ति की स्थिति अथवा निर्माण आदि विषयक दोष, स्वत्व इत्यादि का स्थल का निरीक्षण कर/प्राधिकरण से सम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सभी आपत्तियाँ त्याग दी हैं। बाद में सम्पत्ति विषयक किसी भी दोष के सम्बन्ध में कोई शिकायत ग्राह्य/मान्य नहीं होगी।

12. यदि ई-आक्शन में प्रतिभाग करने वालों द्वारा आक्शन की शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जाता है तो उसको ई-आक्शन से वंचित करने का अधिकार ई-ऑक्शन कमेटी को होगा।

13. सम्पत्ति के न्यूनतम आरक्षित विक्रय मूल्य में बोली निम्नानुसार लगायी जायेगी।

- A- रु0-20.00 लाख तक न्यूनतम वृद्धि रु0-10,000/- एवं उसके गुणांक में।
- B- रु0-20.00 लाख से 50.00 लाख तक रु0-50,000/- एवं उसके गुणांक में।
- C- रु0-50.00 लाख से 2.00 करोड. तक रु0-1.00 लाख एवं उसके गुणांक में।
- D- रु0-2.00 करोड. से 5.00 करोड. तक रु0-5.00/- लाख एवं उसके गुणांक में।
- E- रु0-5.00 करोड. से 10.00 करोड. तक रु0-10.00/- लाख एवं उसके गुणांक में
- F- रु0-10.00 करोड. से ऊपर तक की सम्पत्तियों में रु0-20.00/- लाख एवं उसके गुणांक में।

14. यदि किसी कारणवश भूमि की लागत में बढ़ोत्तरी होती है अथवा किसी वाद के कारण विचाराधीन भूमि के दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा।

15. प्राधिकरण बोर्ड की 183वी बैठक में अतिरिक्त क्षेत्रफल बढ़ने पर आवंटन के समय घोषित क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत तक आवंटन की दर से तथा 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल हेतु वर्तमान दर लिए जाने के अनुरूप ही लागू करने का प्रस्ताव पारित इस शर्त के साथ हुआ कि अतिरिक्त क्षेत्रफल का आवंटन उसी स्थिति में किया जाएगा जब कोई पृथक से भूखण्ड का सृजन नहीं हो पाता है एवं मानक क्षेत्रफल से अतिरिक्त क्षेत्रफल की वृद्धि की प्रतिशत के अनुसार क्षेत्रफल बढ़ने पर अतिरिक्त क्षेत्रफल निम्नानुसार भुगतान पद्धति लागू करायी गयी:-

1.	मानक क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत तक अधिक बढ़ने पर	मांग पत्र निर्गत किए जाने के 01 माह के अन्दर
2.	मानक क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक किन्तु 30 प्रतिशत तक	मांग पत्र निर्गत किए जाने के 03 माह के अन्दर
3.	मानक क्षेत्रफल से 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 60 प्रतिशत	मांग पत्र निर्गत किए जाने के 06 माह के अन्दर
4.	मानक क्षेत्रफल से 60 प्रतिशत से अधिक	मांग पत्र निर्गत किए जाने के 12 माह के अन्दर

16. ई-आक्शन के पश्चात आवंटित सम्पत्ति के पास/स्थल पर अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता होने की स्थिति में नियोजन के अभिमत पर उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 द्वारा आवंटन किये जाने पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। यदि प्राप्त अतिरिक्त भूमि पर नया भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता है तो उसे आवंटी को लेना अनिवार्य होगा।

17. सामान्यतया एकल बोली/आफर (बिड) को स्वीकार नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सम्पत्तियों के निस्तारण की दृष्टि से आक्शन समिति की संस्तुति के आधार पर उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

18. A-धनराशि जमा करने का विवरण

1. रुपया 50 लाख तक की व्यवसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम ई-ऑफरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/नीलामी स्वीकृत पश्चात् प्रेषित आवंटन पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवसों में अवश्य जमा करनी होगी, (उसमें ई0एम0डी0 की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।)। आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 60 दिवसों में 25 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि के 03 माह पश्चात् 08 त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज की दर पर जमा करनी होगी।

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

2. रुपया-50.00 लाख से ऊपर तथा रू0-2.00 करोड़ तक की व्यावसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम् ई-ऑफरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/ ई-आक्शन की स्वीकृति उपरान्त आवंटन पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिवसों में अवश्य जमा करनी होगी, (उसमें ई0एम0डी0 की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।) आवंटन पत्र प्राप्ति होने की तिथि से 60 दिवसों में 25 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि के 03 माह पश्चात् 10 त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज की दर पर जमा करनी होगी। 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात शर्तों के अनुसार कब्जा/अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।
3. रू0-2.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक की व्यावसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम् ई-ऑफरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/ई-आक्शन की स्वीकृति उपरान्त, आवंटन पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवसों में अवश्य जमा करनी होगी, (उसमें ई0एम0डी0 की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।) आवंटन पत्र प्राप्ति होने की तिथि से शेष 75 प्रतिशत धनराशि 20 त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज की दर पर जमा करनी होगी। 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात शर्तों के अनुसार कब्जा/अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।
4. रू0-10.00 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक सम्पत्तियों में उच्चतम् ई-ऑफरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/ई-आक्शन की स्वीकृति उपरान्त, आवंटन पत्र की प्राप्ति की तिथि से 03 माह में अवश्य जमा करनी होगी, (उसमें ई0एम0डी0 की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।) आवंटन पत्र प्राप्ति होने की तिथि से 09 माह के पश्चात शेष 75 प्रतिशत धनराशि (9 माह का 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज को जोड़ते हुये) 20 त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज की दर से जमा करनी होगी। 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात शर्तों के अनुसार कब्जा/अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।
5. आवासीय भूखण्डों एवं विभिन्न अपार्टमेन्ट में स्थित फ्लैटों का कुल मूल्य आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर जमा करना होगा। सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात निबंधन के उपरांत ही सम्पत्ति का कब्जा दिया जायेगा।
6. सी0 जी0 सिटी स्थित सभी प्रकार के भू-उपयोग (आवासीय को छोड़कर) एवं वास्तु खण्ड स्थित वेजिटेबल मार्केट के भूखण्डों हेतु अलग से कोई लोकेशन चार्ज देय नहीं होंगे। उक्त के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में स्थित समस्त प्रकार के भू-उपयोग के भूखण्डों हेतु प्राप्त उच्चतम् बोली पर नियमानुसार निम्नलिखित लोकेशन चार्ज देय होंगे:-
 (क) भूखण्ड की किसी चौहद्दी के समक्ष या सामने पार्क स्थित होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा।
 (ख) भूखण्ड कार्नर या एक से अधिक मार्ग पर स्थित होने की दशा में 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा।
 (ग) बिन्दु सं0 (क) एवं (ख) दोनों होने की स्थिति में नियमानुसार 20 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा।
 नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाली सम्पत्तियों में 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क तथा उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार लोकेशन चार्ज नीलामी उपरान्त आवंटन पत्र में सम्मिलित कर ऑनलाईन के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
7. आवंटन पत्र में निर्धारित 25 प्रतिशत की अन्तर धनराशि निर्धारित अवधि/तिथि पर नहीं जमा करने पर आवेदक/टेण्डरदाता के अनुरोध पर उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 देय धनराशि एक माह में 13 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित जमा करने हेतु एक अन्तिम अवसर दे सकते हैं। समयावधि समाप्त

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

होने के एक माह के अन्दर यदि आवेदक/टेण्डरदाता द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि आवेदक/टेण्डरदाता आवंटित सम्पत्ति क्रय करने में असमर्थ है और बिना किसी नोटिस के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा ई0एम0डी0 जब्त कर ली जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक/टेण्डरदाता की स्वयं होगी।

8. देय किश्तों का भुगतान समय से न करने पर 13 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

9. आवंटन पत्र निर्गत होने के उपरान्त निम्नलिखित छूट दी जायेगी:—

व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु निम्न छूट का प्राविधान है:—

(क) 45 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर 75 प्रतिशत धनराशि (12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क की धनराशि को छोड़कर) पर 6 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) 60 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर 75 प्रतिशत धनराशि (12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क की धनराशि को छोड़कर) पर 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ग) 75 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर 75 प्रतिशत धनराशि (12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क की धनराशि को छोड़कर) पर 4 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(घ) 90 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर 75 प्रतिशत धनराशि (12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क की धनराशि को छोड़कर) पर 3 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

आवंटी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर पर नहीं घटायी जायेगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात अन्य मदों में समायोजित किया जायेगा। उक्त लाभ दिनांक 01.04.2025 के पश्चात विज्ञापित नीलामी के माध्यम से आवंटित सम्पत्तियों पर लागू होगा।

आवासीय सम्पत्तियों हेतु निम्न छूट का प्राविधान है:—

आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पूर्ण धनराशि 45 दिवस के अन्दर जमा करने पर 75 प्रतिशत धनराशि (12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क की धनराशि को छोड़कर) पर 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

10. गोमती नगर विस्तार के अन्तर्गत सी0बी0डी0 योजना में स्थित भूखण्डों का मिश्रित भू-उपयोग इस शर्त पर अनुमन्य होगा कि भूतल का उपयोग अनिवार्य रूप से व्यवसायिक किया जायेगा।

11- पत्र प्राप्ति की तिथि सम्बन्धित डाकघर द्वारा वितरित करने मोहरनुमा अंकित तिथि/पोस्टमैन द्वारा अंकित तिथि ही मानी जायेगी। यदि डाक से पत्र बिना वितरित हुये कार्यालय में वापस आता है तो डाक विभाग/डाकिया द्वारा प्रथम अंकित तिथि ही पत्र प्राप्ति की तिथि मानी जायेगी। आवंटन पत्र में डिजिटल हस्ताक्षर की तिथि ही आवंटन पत्र निर्गत की तिथि मानी जाएगी।

12- नीलामी से आवंटित सम्पत्तियों के अनुबन्ध हेतु उपरोक्तानुसार उल्लिखित नियम एवं शर्त के अतिरिक्त आवंटन पत्र के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन की तिथि तक किश्तों की धनराशि ब्याज/दण्ड ब्याज सहित जमा करना अनिवार्य होगा।

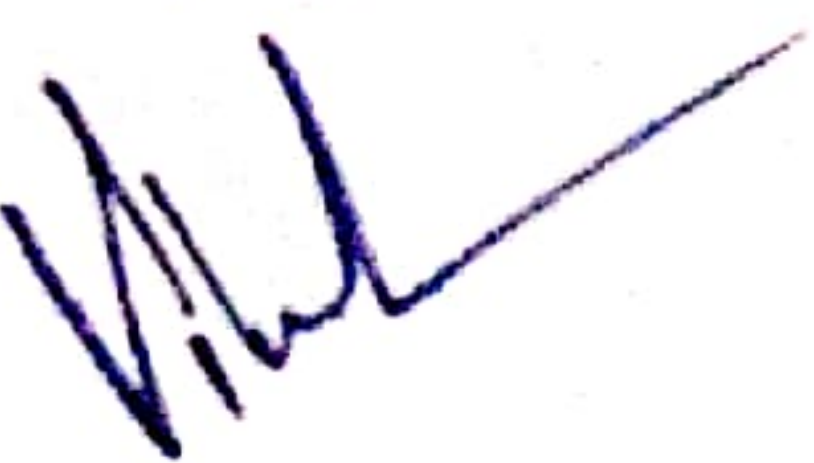
B-अनुबन्ध में प्रतिबन्ध

- व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों द्वारा अपने सदस्यों/ग्राहकों को सम्पत्ति/भूखण्ड पर निर्मित सम्पत्ति की रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं होगा। जब तक प्राधिकरण से देयता समाप्त नहीं हो जाती है, प्राधिकरण के प्रति देयता समाप्त होने एवं आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण की ओर से रजिस्ट्री होने के पश्चात ही आवंटी को अपने ग्राहकों के पक्ष में रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा।
- आवंटियों द्वारा देय भुगतान शिड्यूल के अनुसार न किये जाने पर अथवा अनुबंध के प्राविधानों/शर्तों के उल्लंघन की दशा में प्राधिकरण को देय बकाया धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल करने का अधिकार होगा।

3. आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष प्राधिकरण को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तक सम्पत्ति विक्रय द्वारा किसी प्रकार की वसूली का प्रथम अधिकार प्राधिकरण का होगा।
4. सम्पत्ति के मूल्य पर प्रचलित नियमों अनुसार सम्पूर्ण फी-होल्ड शुल्क जमा करने पर सम्पत्ति का अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

C-देय धनराशि जमा न करने पर आवंटित सम्पत्ति को निरस्त करना-

1. इच्छुक क्रेता द्वारा उच्चतम बोली बोलने के बाद मना करने पर अथवा स्वीकृत के उपरान्त देय धनराशि न जमा करने पर जमा की गयी सम्पूर्ण टोकन मनी/ई0एम0डी0 धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
2. यदि आवंटी निरस्त सम्पत्ति को पुनर्जीवित कराना चाहें तो उसे पुनर्जीवन शुल्क तथा सम्पत्ति रिक्त होने की स्थिति में स्वीकृताधिकारी द्वारा सम्पत्ति के अद्यावधिक भुगतान की शर्तों/तत्समय प्रभावी गणना गाईड लाईन में निहित प्राविधान के अधीन, आवंटन पुनर्जीवित किया जा सकेगा।
3. आवंटन पत्र के अनुसार भुगतान के बाद यदि आवंटी किन्हीं कारणों से सम्पत्ति लेने में असहमत होता है और जमा धनराशि वापसी की माँग करता है तो भुगतान की गयी धनराशि में से टोकन धनराशि (10 प्रतिशत) सहित प्रथम चरण (15 प्रतिशत) में जमा सम्पूर्ण धनराशि की कटौती करने के साथ आवंटन सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर निरस्त कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।
4. आवंटन पत्र में निर्धारित 25 प्रतिशत धनराशि (ई0एम0डी की धनराशि समायोजित सहित) का समय से न जमा करने पर 10 प्रतिशत टोकन मनी/ई0एम0डी0 की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और यदि कोई आवंटी लगातार 3 किश्तें जमा नहीं करता है तो वह डिफाल्टर माना जायेगा ऐसी स्थिति में बिना किसी नोटिस के सम्पत्ति के मूल्य का जमा 25 प्रतिशत धनराशि की कटौती करने के साथ आवंटन सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर निरस्त कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।
5. सम्पत्ति जिसका कब्जा प्राधिकरण के पास है, के आवंटन निरस्तीकरण के पश्चात ऐसी सम्पत्ति को आगामी प्रस्तावित नीलामी में सम्मिलित किया जायेगा।
6. ऐसी निरस्त सम्पत्तियाँ जिनका अनुबन्ध एवं भौतिक कब्जा पूर्व से हस्तगत है, के विरुद्ध देय ब्याज सहित सम्पूर्ण अवशेष धनराशि तथा पुनर्जीवन शुल्क के रूप में जब्त टोकन मनी/ई0एम0डी0 धनराशि का 40 प्रतिशत प्राधिकरण के खाते में जमा किये जाने पर स्वीकृताधिकारी द्वारा पुनर्जीवित किया जायेगा।
7. निरस्त की गयी सम्पत्तियों में जब्त की जाने वाली धनराशि पर लगने वाले 18 प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि पृथक से आवंटी की जमा धनराशि से घटा कर अवशेष धनराशि रिफण्ड किया जायेगा।
19. आवंटी/संस्था द्वारा अनुबन्ध/निबन्धन के पश्चात प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करायेंगे।
20. प्राधिकरण द्वारा ई-ऑक्शन की नियम व शर्तों का पालन आवंटी/संस्था को करना होगा। ई-ऑक्शन के सम्बन्ध में समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 में निहित होगा।
21. किश्तों का प्रारम्भ, आवंटन पत्र में अंकित तिथि से माना जायेगा।
22. ई-ऑक्शन में प्राप्त उच्चतम बोली के आधार पर ही किसी व्यक्ति के सम्पत्ति का आवंटन पूर्ण नहीं माना जायेगा, सम्पत्ति का आवंटन उसी समय माना जायेगा जब सक्षम स्तर अर्थात् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत प्राप्त हो जाए। आवंटन के पश्चात् समस्त वांछित धनराशि निर्धारित समय में जमा करते हुये औपचारिकताओं की पूर्ति करनी होगी अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। यदि कोई ई-ऑक्शन दाता की बोली स्वीकार होने के पश्चात् वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति न किये जाने के फलस्वरूप आवंटी की चूक होने के कारण उसका आवंटन निरस्त किया जाता है तो नियमों के अन्तर्गत टोकन मनी/ई0एम0डी0/अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।




23. यदि प्राधिकरण की सर्विस फाल्ट/आवंटित सम्पत्ति पर किसी प्रकार का वाद-विवाद होने के कारण सम्पत्ति का आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा निबन्धन/कब्जा की कार्यवाही पूर्ण नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में आवंटी की सम्पूर्ण जमा धनराशि भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता हेतु प्रचलित ब्याज दर के साथ कुल धनराशि वापस कर दिया जायेगा।
24. आक्शन में उच्चतम् ई-ऑफरदाता के पक्ष में सम्पत्ति आवंटन के पश्चात शासनादेश/प्रचलित नियमों के अनुसार आवंटित समस्त प्रकार की सम्पत्तियों/भूखण्डों के मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क(समस्त भूखण्डों हेतु लागू)/10 प्रतिशत लीज रेण्ट (केवल ट्रांसपोर्ट नगर योजना के भूखण्डों पर लागू) पृथक से देय होगा। यदि आवंटन के पश्चात आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना में पुनः उपरोक्तानुसार धनराशि सम्मिलित कर आगणित कराने के पश्चात प्राप्त देय धनराशि आवंटी को निर्धारित तिथि के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा विलम्ब की स्थिति में दण्ड ब्याज देय होगा। सम्पत्ति के निबन्धन/अनुबन्ध हेतु देय स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क आवंटी को स्वयं वहन करना होगा। समस्त देय धनराशि जमा होने के उपरान्त ही निबन्धन की कार्यवाही निष्पादित की जायेगी।
25. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यदि किसी सम्पत्ति पर बाउंड्री वाल का निर्माण आवंटन से पूर्व अथवा आवंटन के पश्चात किया गया है तो निर्माण की लागत आवंटी को पृथक से भुगतान करना होगा, क्योंकि उक्त लागत को आरक्षित दर में सम्मिलित नहीं किया गया है।
26. सम्पत्ति की ई-ऑक्शन ले-आउट के अनुसार अनुमानित क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। वास्तविक लीज-प्लान प्राप्त होने पर क्षेत्रफल कम पाये जाने पर ऑक्शन दर पर घटे हुये क्षेत्रफल की धनराशि अन्य व्ययों में समायोजित की जा सकेगी तथा उसके बाद भी अधिक जमा धनराशि पाये जाने पर वापस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। क्रेता को नगर निगम, भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित किये गये कर अथवा अधिभार आदि स्वयं वहन करने होंगे। इसी प्रकार किसी भी विभाग से प्राप्त की जाने वाली अनुमति/अनापत्ति/अनुज्ञा क्रेता को स्वयं अपने व्यय पर प्राप्त करनी होगी।
27. सम्पत्ति के अनुबन्ध/निबन्धन हेतु निर्धारित धनराशि जमा करने के साथ शासनादेश के अनुसार स्टाम्प जमा करने एवं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप/विलेख के अनुसार अनुबन्ध/निबन्धन निष्पादित किये जाने के उपरान्त ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा क्रेता को दिया जायेगा। किसी प्रकार के विवाद की दशा में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
28. ऑक्शन की गयी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर आर्बीट्रेशन एक्ट के प्राविधान लागू होंगे तथा उपाध्यक्ष ल0 वि0 प्रा0 अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति आर्बीट्रेटर होगा। आर्बीट्रेटर यदि कोई धनराशि किसी पक्ष में अवार्ड करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। आवंटी को मानसिक क्षति के आधार पर किसी भी प्रकार की धनराशि आर्बीट्रेटर अवार्ड नहीं करेगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही के दौरान आवंटी अपना खर्च स्वयं वहन करेगा। आर्बीट्रेशन की सारी कार्यवाही केवल लखनऊ नगर में सम्पादित होंगी।
29. ऑक्शन प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उठने पर केवल लखनऊ स्थित सक्षम न्यायालय में ही वाद का क्षेत्राधिकार होगा। उपाध्यक्ष स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति को 90 दिन के अन्दर आर्बीट्रेटर नामित करना होगा। यदि उपाध्यक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 90 दिन के अन्दर स्वयं आर्बीट्रेटर का कार्य या दूसरे व्यक्ति को आर्बीट्रेटर नियुक्त नहीं करता है तो आवंटी अपना विवाद न्यायालय द्वारा निस्तारण करा सकेगा। यदि नामित व्यक्ति ल0 वि0 प्रा0 का अधिकारी है तो आवंटी को उस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार न होगा, चाहे ऐसे अधिकारी ने आवंटी के विवाद के सम्बन्ध में पूर्व में कोई आख्या ही क्यों न दे रखी हो।
30. ई-ऑक्शन प्रक्रिया की किसी भी कार्यवाही को किसी भी स्तर पर अथवा पूरी प्रक्रिया को किसी भी समय व बोली स्वीकृत होने के पूर्व निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा। इसी प्रकार ई-ऑक्शन प्रारम्भ होने के पूर्व ऑक्शन की शर्तों को प्राधिकरण के हित में संशोधन करने या कोई अन्य प्राविधान लागू करने का अधिकार

उपाध्यक्ष ल0 वि0 प्रा0 में निहित होगा, जिसकी सूचना ऑक्शन में भाग लेने वाले को ऑक्शन से पूर्व दे दी जायेगी।

31. ई-ऑक्शन प्रक्रिया में पंजीकृत आवेदकों द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकेगा। ई-ऑफरदाता को पोर्टल पर अपने खाते का विवरण एवं कास चेक की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
32. भूखण्ड पर निर्माण के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना तथा भवन निर्माण के सम्बन्ध में लागू समस्त नियमों/उपविधियों के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। भूखण्डों पर अनुमन्य भवन की ऊँचाई एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दी गई अनापत्ति के अनुसार होगी।
33. आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा शासन द्वारा वर्तमान में तथा भविष्य में लागू किये गये समस्त नियमों/उप-नियमों का पालन करना होगा।
34. स्कूल भूखण्डों पर अन्य नियम व शर्तें शासनादेश संख्या-3600/8-1-11-10विविध/04 दिनांक-21.12.2011 में निहित प्राविधान के अनुसार ही लागू होगी।
35. उपरोक्त नियम एवं शर्तें ई-आक्शन के माध्यम से आवंटित समस्त प्रकार की सम्पत्तियों पर लागू होंगी।
36. उपाध्यक्ष, ल0 वि0 प्रा0 का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

फाइन डाइनिंग स्ट्रीट के भूखण्डों हेतु विशेष नियम शर्तें

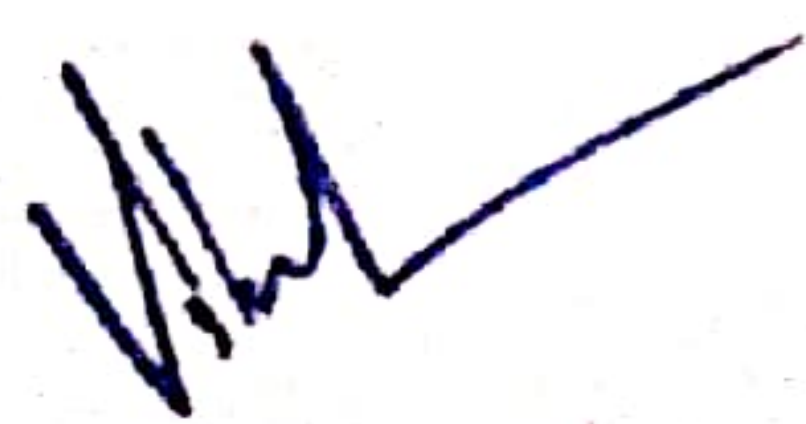
फाइन डाइनिंग स्ट्रीट सी0बी0डी0, गोमती नगर विस्तार में स्थित भूखण्डों के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए कि फाइन डाइनिंग के अन्तर्गत नियोजित भूखण्डों पर महायोजना के भू-उपयोग के अनुसार व्यवसायिक गतिविधियां इस शर्त के साथ अनुमन्य की जायें कि आवंटी को अनिवार्य रूप से किसी एक तल पर रेस्टोरेन्ट के संचालन का कार्य किया जाना अनिवार्य होगा, के निर्माण हेतु अनुमन्यता देते हुए ई-आक्शन कराया जाए जिससे कि बिल्डर्स/व्यवसायियों के द्वारा भूखण्डों को क्रय किया जा सके। उपरोक्त दिए गए निर्देशों के क्रम में ई-आक्शन की निम्न नियम व शर्तें होंगी-

1. एफ0ए0आर0 3.00 एवं भू-आच्छादन 40 प्रतिशत अनुमन्य होगा।
2. माइक्रो ब्रेवरीज एवं बार (Micro Breweries & Bar) की सुविधा सक्षम स्तर से क्रेता द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने की स्थिति में लाइसेंस की शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा सक्षम स्तर पर आवेदन करते हुए लाइसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा।
3. इन भूखण्डों पर रेस्टोरेन्ट का संचालन 24 X 7 (चौबिस घंटे प्रत्येक दिवस) किया जा सकेगा।
4. शेष नियम व शर्तें ई-आक्शन की सामान्य नियम व शर्तों के अनुसार लागू होंगी।
- 5.

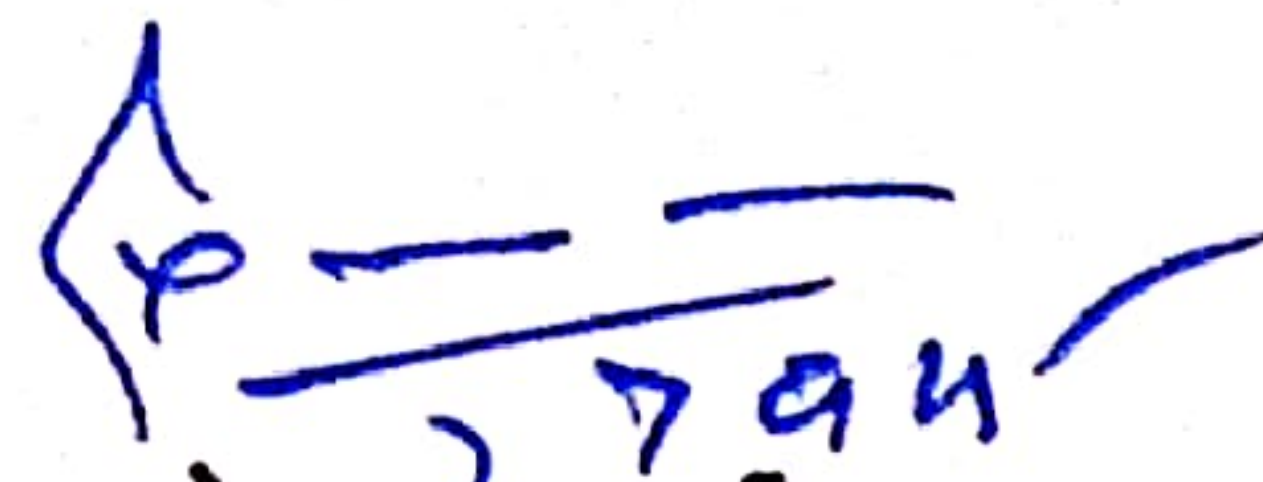
रतन खण्ड एवं मानसरोवर सेक्टर-ओ-3 कानपुर रोड योजना में स्थित शॉपिंग कॉम्प्लैक्स हेतु विशेष नियम व शर्तें

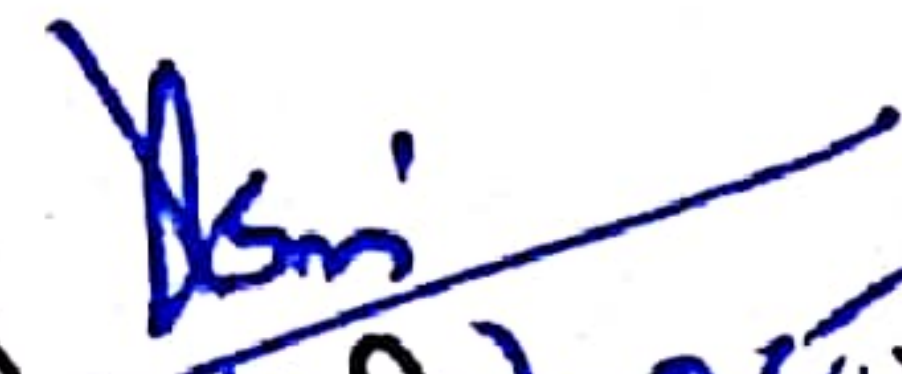
1. आवंटी द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार संरचनात्मक सुरक्षा (Structural Safety) को ध्यान में रखते हुए आंतरिक परिवर्तन अनुमन्य होंगे।
2. आवंटी द्वारा अतिरिक्त लिफ्ट की व्यवस्था की जा सकेगी।
3. आवंटी द्वारा अनुमन्य एफ0ए0आर0 के अनुसार अतिरिक्त निर्माण अनुमन्य होगा।
4. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निहित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. शेष नियम व शर्तें ई-आक्शन की सामान्य नियम व शर्तों के अनुसार लागू होंगी।

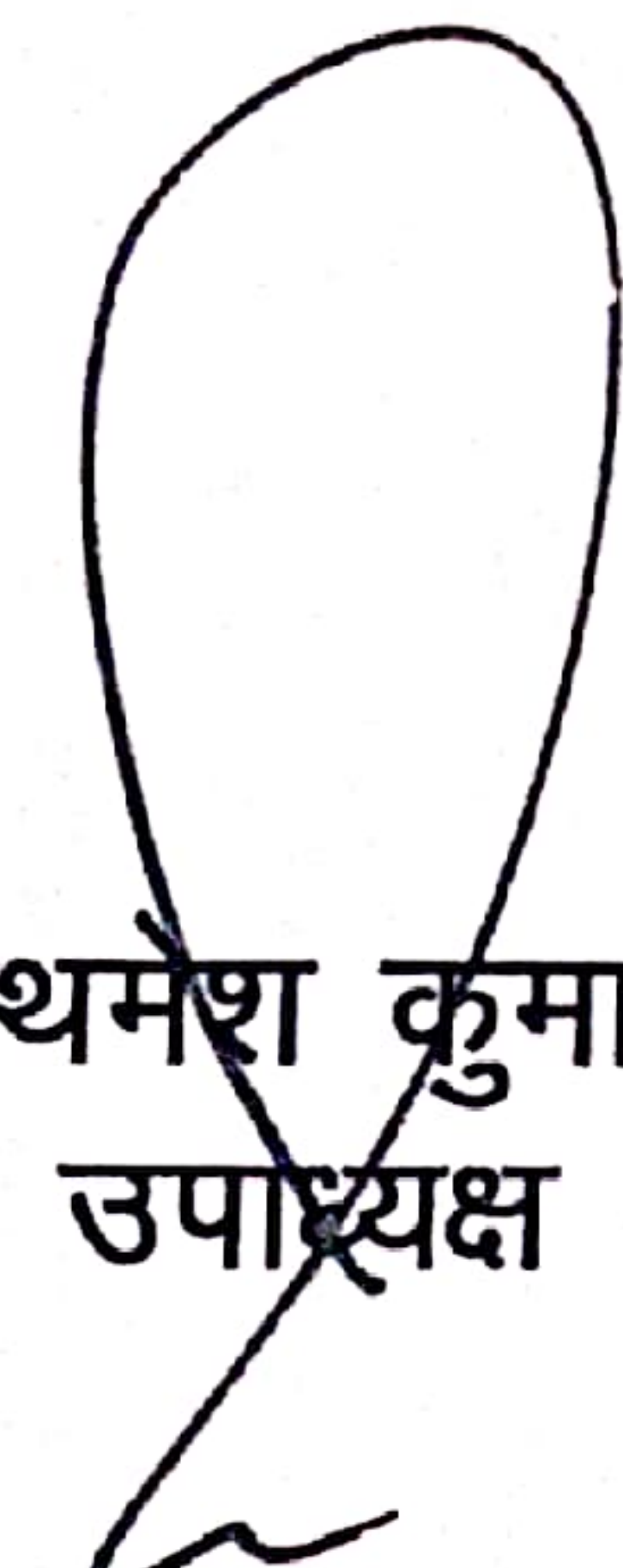
विभूति खण्ड गोमती नगर योजना स्थित व्यवसायिक भूखण्ड (सहारा मार्केट) हेतु विशेष नियम व शर्तें



1. आवंटी द्वारा पूर्व निर्मित इमारत को ध्वस्त कर ल0वि0प्रा0 से मानचित्र स्वीकृत करा कर नवीन निर्माण किया जा सकता है अथवा अपनी आवश्यकता अनुसार संरचनात्मक सुरक्षा (Structural Safety) को ध्यान में रखते हुए आंतरिक परिवर्तन अनुमन्य होंगे।
2. आवंटी द्वारा अतिरिक्त लिफ्ट की व्यवस्था की जा सकेगी।
3. आवंटी द्वारा अनुमन्य एफ0ए0आर0 के अनुसार अतिरिक्त निर्माण अनुमन्य होगा।
4. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निहित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. शेष नियम व शर्तें ई-आक्शन की सामान्य नियम व शर्तों के अनुसार लागू होंगी।


(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव


(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव


(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष